न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– राम सुख गुर्जर,आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 91 / 2011

वादी

1. अमराराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत निवासी उगरपुरा (भंवरपुरा) तहसील नावां कुचामन सिटी जिला नागौरी राज0

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गणपतराम पुत्र सुवाराम जाति कुमावत
2. दुलाराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत
3. भागीरथराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत
4. हेमाराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत
5. गंगाराम पुत्र कानाराम जाति कुमावत
6. भंवरीदेवी बेवा सुजाराम जाति जाट
7. राजूराम पुत्र सुजाराम जाति जाट
8. रामनिवास पुत्र सुजाराम जाति जाट
9. रामूराम पुत्र सुजाराम जाति जाट
   सभी निवासी उगरपुरा (भंवरपुरा)
10. उपपंजीयक कुचामन सिटी
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार कुचामन सिटी

वाद – वास्ते इस्तकरार हक भू विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से ।
श्री विजयसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण 6,7,8,9,की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक:– 22/06/2017

वकुलाय उपस्थित. वकुलाय ने अन्तिम डिक्री हेतु वाद पत्र में बहस सुनाई, दौराने बहस निवेदन किया की तहसीलदार कुचामनसिटी से न्यायालय के आदेश के अनुसार प्राथमिक डिक्री बंटवारा स्कीम प्राप्त हो चुकी है। माफिक प्राथमिक डिक्री अन्तिम डिक्री जारी करने की कृपा करावें।

वकुलाय की बहस सुनी वाद पत्र पर उपलब्ध प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 25.02.2016 एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त प्राथमिक रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 का अवलोकन व विद्वान वकुलाय की बहस का मनन करने पर न्यायालय का मत है की माफिक बंटवारा स्कीम वादीगण का वाद काबिल अन्तिक डिक्री पाये जाने से निम्न प्रकार अन्तिक डिक्री जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

ग्राम भंवरपुरा के खसरा नम्बर 544,545,546,548,549,550,551कुल रकबा 6.32 हैक्टर भूमि में खातेदार गणपत राम पुत्र सुवाराम, अमराराम, दुलाराम, भागीरथराम, हेमाराम पुत्र किशनाराम के 1/4 हिस्से में यानी 1.58 हैक्टर में से वादी अमराराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत को खसरा नम्बर 551 रकबा 1.47 हैक्टर में से 0.3160 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 1 गणपत राम पुत्र सुवाराम कुमावत को खसरा नम्बर 551 का शेष रकबा 1.1540 हैक्टर में से 0.2760 हैक्टर व खसरा नम्बर 550 रकबा 1.55 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर कुल 0.3160 हैक्टर का व प्रतिवादी संख्या 2 दुलाराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत को खसरा नम्बर 550 शेष रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 551 शेष रकबा 0.8780 हैक्टर में से 0.2460 हैक्टर कुल रकबा 0.3160 हैक्टर का व प्रतिवादी संख्या 3 भागीरथ राम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत को खसरा नम्बर 551 का शेष रकबा 0.6320 हैक्टर में से 0.3160 हैक्टर का व प्रतिवादी संख्या 4 हेमाराम पुत्र किशनाराम कुमावत को शेष बचा रकबा 0.3160 हैक्टर का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है बाकि खाता यथावत रहेगा। बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। मिसल नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनॉक 22/06/2017 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(राम सरुप गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– राम सुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 91/2011

वादी

1. अमराराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत निवासी उगरपुरा (भंवरपुरा) तहसील नावां कुचामन सिटी जिला नागौरी राज0

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गणपतराम पुत्र सुवाराम जाति कुमावत
2. दुलाराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत
3. भागीरथराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत
4. हेमाराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत
5. गंगाराम पुत्र कानाराम जाति कुमावत
6. भंवरीदेवी बेवा सुजाराम जाति जाट
7. राजूराम पुत्र सुजाराम जाति जाट
8. रामनिवास पुत्र सुजाराम जाति जाट
9. रामूराम पुत्र सुखाराम जाति जाट
   सभी निवासी उगरपुरा (भंवरपुरा)
10. उपपंजीयक कुचामन सिटी
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार कुचामन सिटी

वाद – वास्ते इस्तकरार हक भू विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से ।
श्री श्यामलाल कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से।
श्री विजयसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण 6,7,8,9,की ओर से ।

आदेश
(संशोधित)

दिनॉकः– 24/07/2017

प्रतिवादी वकील के आवेदन पर पत्रावली तलब कर नम्बर पर ली गई। वकील प्रतिवादी का कथन है कि तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना में प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा पृथक रूप से बतलाया गया है, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री आदेश जारी करने पर प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा सहवन से लिखने से रह गया है, अतः संशोधित डिक्री आदेश जारी करने की कृपा करावे। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर संशोधित अन्तिम डिक्री आदेश निम्न प्रकार जारी किया जाता है।

आदेश

ग्राम भंवरपुरा के खसरा नम्बर 544,545,546,548,549,550,551कुल रकबा 6.32 हैक्टर भूमि में खोतदार गणपत राम पुत्र सुवाराम, अमराराम, दुलाराम, भागीरथराम,

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हेमाराम पुत्र किशनाराम के 1/4 हिस्से में यानी 1.58 हैक्टर में से वादी अमराराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत को खसरा नम्बर 551 रकबा 1.47 हैक्टर में से 0.3160 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 1 गणपत राम पुत्र सुवाराम कुमावत को खसरा नम्बर 551 का शेष रकबा 1.1540 हैक्टर में से 0.2760 हैक्टर व खसरा नम्बर 550 रकबा 1.55 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर कुल 0.3160 हैक्टर का व प्रतिवादी संख्या 2 दुलाराम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत को खसरा नम्बर 550 शेष रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 551 शेष रकबा 0.8780 हैक्टर में से 0.2460 हैक्टर कुल रकबा 0.3160 हैक्टर का व प्रतिवादी संख्या 3 भागीरथ राम पुत्र किशनाराम जाति कुमावत को खसरा नम्बर 551 का शेष रकबा 0.6320 हैक्टर में से 0.3160 हैक्टर का व प्रतिवादी संख्या 4 हेमाराम पुत्र किशनाराम कुमावत को शेष बचा रकबा 0.3160 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 गंगाराम पुत्र कानाराम जाति कुमावत खसरा नम्बर 550 का शेष रकबा 1.44 हैक्टर व खसरा नम्बर 549 में से 0.14 हैक्टर कुल 1.58 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 6 से 8 भंवरी देवी पत्नी सुजाराम राजुराम सुजाराम खसरा नम्बर 544 रकबा 1.35 हैक्टर व खसरा नम्बर 545 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 549 मे से 0.085 हैक्टर कुल रकबा 1.5750 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 9 रामूराम पुत्र सुखाराम जाति जाट खसरा नम्बर 548 रकबा 0.45 हैक्टर खसरा नम्बर 549 का शेष रकबा 1.1250 हैक्टर कुल रकबा 1.5750 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 6 से 8 खसरा नम्बर 546 रकबा 0.01 हैक्टर में 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 9 रामूराम पुत्र सुखाराम जाट को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। डिकी पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। मिसल नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 24/07/2017 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(राम सुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)